



विलोपित

विलोपित

### न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2018

PBR/मिगरानी/ग्वालियर/भू.रा/2018/2370

ऑक्सफोर्ड कॉलेज डी-15 बसंत  
विहार ग्वालियर, द्वारा संचालक  
मनोज कुमार भट्टेले पुत्र स्व. श्री  
आर.सी. भट्टेले, निवासी- सत्यदेव  
नगर गांधी रोड ग्वालियर (म.प्र.)

--आवेदक

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर ग्वालियर  
(म.प्र.)

--अनावेदक

विनोद भागवत का  
द्वारा आज दि. 12-4-18 को  
प्रस्तुत। प्रारंभिक कार्य हेतु  
दिनांक 3-5-18 नियत।

कलेक्टर ऑफ कोर्ट 12-4-18  
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, झांसी  
रोड जिला ग्वालियर म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक  
2/17-18/पुनर्विलोकन में पारित आदेश पारित  
दिनांक 19/01/2018 के विरुद्ध म.प्र.  
भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के  
अधीन पुनरीक्षण।

13  
विनोद भागवत  
12-04-2018

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है:-



#### प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:

- यहकि, अनावेदक द्वारा आवेदक संस्था के विरुद्ध भूमि सर्वे क्रमांक 931/2 की दीवाल पर आवेदक द्वारा ऑक्सफोर्ड कॉलेज का विज्ञापन, 20x5=100 को दो स्थानों पर कुल क्षेत्रफल 200 वर्गफुट पर बिना अनुमति के प्रचारित किया जाना एवं संपत्ति का व्यवसायिक उपयोग किया जाना मानते हुये सूचना पत्र जारी किया गया जबकि प्रकरण में संहिता की धारा 172(4) उपबंध

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/ग्वालियर/भू.रा./2018/2370

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-4-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 30-5-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । उभय पक्ष को सूचना दिया जाये ।</p> <p> ASR</p>	<p> अध्यक्ष</p>